प्रेस नोट 17.04.2017

धोखाधडी करने का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में प्रकरण सं 58/17 धारा 420,406,467,468,471 भादस में मुलजिम भवर सिंह उर्फ भवर पुत्र धन्ना सिह जाति मेहरात उम्र 44 साल निवासी हालु का बाडिया मसूदा थाना मसूदा अजमेर द्वारा मुस्तगीस के पिता की खातेदारी भूमि फर्जी तरीके से लोन लेकर धौखाधडी करना पाया जाने पर मुलजिम को कल दिनांक 16.4.17 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया।

स्थाई वारण्टी में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जायेगा।

पुलिस थाना ब्यावर सिटी मे स्थाई वारण्टी अभियान के दौरान थाना का स्थाई वारण्टी सोहन सिह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी भैरवाई पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर को मंगलचंद ईमरान खां रमेश कुमार के प्रयास उपरान्त गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 17.04.17 को माननीय अति0 सिविल न्यायाधीश जिला भीलवाड़ा पेश किया जावेगा।

अवैध हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना केकडी में थानाधिकारी हरीराम कुमावत मय जाप्ते द्वारा मुल्जिम गजानन्द उर्फ गज्यो पुत्र अम्बालाल उर्फ अम्लिया जाति मोग्या उम्र 20 साल निवासी मांन्दोलाई थाना मालपुरा जिला टोंक हाल मेवदाकला पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर को अवैध टोपीदार बन्दूक के साथ इम्मानुवल मिशन स्कुल पुराना कोटा रोड केकडी से गिरफ्तार किया जाकर वापसी पर आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया।

शान्ति व्यवस्था भंग करने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने के आरोप में 1–लक्ष्मण पुत्र प्रभूलाल जाति प्रजापति उम्र 25 साल निवासी दौराई पुलिस थाना रामगंज अजमेर 2–सोहन लाल पुत्र भागीरथ जाति रेगर उम्र 49 साल निवासी जवाहर की नाडी चन्द्रबरदाई नगर थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया।

तेज धारधार हथियार से हमला करने का मुकदमा दर्ज

पुलिस थाना दरगाह में दिनांक 17.04.2017 को मजरूब व्यक्ति जोहेब चिश्ती पुत्र जावेद चिश्ती उम्र 28 साल जाति खादीम मुसलमान निवासी जावेद मंजिल पन्नीग्राम चौक अजमेर उपस्थित थाना आया एंव मजरूब

व्यक्ति को जे0एल0एच0 अजमेर में ईलाज हेतु भर्ती कराया एव जोहेब चिश्ती पुत्र जावेद चिश्ती उम्र 28 साल जाति खादीम मुसलमान निवासी जावेद मंजिल पन्नीग्राम चौक अजमेर ने बमुकाम जे0एल0एन0एच0 अजमेर में एक लिखित रिपोट इस आश्य कि पेश की थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह विषय– रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निवेदन है की मै सैयद जोहेब चिश्ती पुत्र सैयद जावेद चिश्ती ऐज 28 वर्ष निवासी पन्नीग्राम चौक जावेद मंजिल खादिम मोहल्ला अजमेर का निवासी हूॅ आज दिनांक 17/04/17 को दरगाह में शाहजानी मस्जिद के सामने फुल की दुकान के पास मेरे मेहमान के साथ था कि मेरे उपर ख्वाजा अहमद, बक्कखेत्यार, अल्ली, सेफ, और उसके कुछ अन्य साथी ने मुझ पर तेज धार हथियार से हमरा कर दिया उनके पास चाकु तलवार और अन्य हथियार थे इन्होने मेरे साथ मारपीट की मेरे साथ सैयद केसर अली पुत्र शहादत अली और सैयद नवेज चिश्ती पुत्र सैयद मेहमुद चिश्ती मोजुद थे इन्होने बीच बचाव करा था रिपोर्ट करता हु करवाही की जाये। मजमुन रिपोर्ट व निरीक्षण चोटो से मामला अपराध धारा 307,323,341,143 आईपीसी का वकु में आना पाया जाता है। अत मु0न0 83/17 धारा उपरोक्त में दर्ज कर तफतीश कानाराम सउनि के जिम्मे की गई । प्रकरण में आरोपीगणो की तलाश जारी है एव प्रकरण में अनुसधान जारी है। थाना क्षैत्र मे कानून व्यवस्था कायम है। तत्थ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे प्रेषित है